

19<sup>9</sup>/<sub>15</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में कई बार आवेदन लगे। जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पेशी, अदम इजरी में ब्यारिज की जागी। पत्रावली उमर सुमार दोहरा कर तरतीबत लमोह दायित्व करवाइये।

सहायक कलेक्टर  
बीकानेर शहर

